रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2003/पौष 1, 1925
No. 613] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2003/PAUSA 1, 1925

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2003

सा.का.नि. 960(अ).—केन्द्र सरकार, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. माननीय श्री न्यायमूर्ति बी.ए. खान	—	अध्यक्ष
2. माननीय श्री न्यायमूर्ति मुकुल मुदगल	—	सदस्य
3. माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौल	—	सदस्य

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. 820/11/2003 पी आईटीएनडीपीएस]

अनिल बहुगुणा, उप सचिव

पाद टिप्पणी :—सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 8 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (1) दिनांक 8, नवम्बर, 2001 में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22th December, 2003

G.S.R. 960(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notification of the

Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. 838(E) dated 8th November, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

(1) Hon'ble Mr. Justice B.A. Khan	—	Chairman.
(2) Hon'ble Mr. Justice Mukul Mudgal	—	Member.
(3) Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul	—	Member.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

ANIL BAHUGUNA, Dy. Secy.

Foot note:—The Notification G.S.R. 838(E), dated 8th November, 2001 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 8th day of November, 2001.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.